



राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 9(87)राज-1/2025-27418

जयपुर, दिनांक : e-Signed

--: संशोधित अधिसूचना :--

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 9(87)राज-1/2025-27418 दिनांक 06.04.2025 में क्रम संख्या-07 द्वारा बालोतरा जिले की तहसील सिणधरी के मूल राजस्व ग्राम आदर्श लोहिडा व जैतेश्वर नगर में से नवघोषित राजस्व ग्राम आदर्श श्रीयादे नगर के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका उनवान खेताराम व अन्य एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 11729/2025 में दिनांक 07.07.2025 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त न्यायिक आदेश के अनुक्रम में जिला कलक्टर, बालोतरा द्वारा याची से प्राप्त अभ्यावेदन का निर्धारित मापदण्डों के संदर्भ में जांच उपरांत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित प्रस्ताव मय अनुशंषा के अनुक्रम में राज्य सरकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा 16 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतत्द्वारा राजस्व ग्राम **आदर्श श्रीयादे नगर का नाम निरस्त/परिवर्तित कर** ग्राम का नाम **श्रीपति नगर (Shripati Nagar)** निर्धारित करती है।

इस अधिसूचना के प्रसारण से उक्त ग्राम की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा अधिसूचना RajKaj Ref. No. 14630388 दिनांक 06.04.2025 का शेष विवरण यथावत रहेगा। जिला कलक्टर, बालोतरा ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान



सत्यमेव जयते

8. जिला कलक्टर, बालोतरा उक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें।
9. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर
10. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
11. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर
12. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
13. अतिरिक्त निदेशक (आईटी), राजस्व को आदेश की प्रति राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में **e-Gazette** प्रकाशन एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
14. निदेशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर
16. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर
17. महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर
18. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
19. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर
21. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
22. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
23. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
24. रक्षित प्रति।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. Under Secretary, M&G Section, CS Division, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2nd Floor, Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002.
2. Secretary, Ministry of Railways (Railway Board), TG-IV Section, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
3. Surveyor General, Survey of India, Post Box No. 37, Hathibarkala Estate, Dehradun, Uttarakhand-248001.
4. Director, Rajasthan Geo-Spatial Data Centre, Great Arc Bhawan-II, Sector-10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan—302039.
5. Director, Directorate of Map Publication, Survey of India, Post Box No. 28, Hathibarkala Estate, Dehradun, Uttarakhand-248001.
6. Director, National Geospatial Data Centre, Block 6, Hathibarkala Estate, Post Box No. 200, Dehradun, Uttarakhand-248001.
7. Deputy Secretary, SMP Division, Ministry of Science and Technology, Government of India, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016.
8. Director, Department of Posts, Planning Division, Ministry of Communications, Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001.

शासन उप सचिव